प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'छियासी' [15/3/2018]

प्रश्न सं. [क्र. 3523]

परिशिष्ट - 'अ'

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल, दिनांक 27/10/2016

//आदेश//

क्रमांक/13211/22/वि-2/स्था./16-जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं डीएसएमए के मूल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिला पंचायत व जिले की जनपद पंचायत में रिक्त समकक्ष पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाए। पदस्थापना करते समय यह ध्यान रखा जाये कि यथा संभव इनका मुख्यालय परिवर्तित न हो। यदि मुख्यालय पर पद रिक्त न हो, तो ही जिले की अन्य निकटस्थ जनपद पंचायत में पदस्थापना की जाए।

2. डीआरडीए प्रशासन योजना में संविदा पर पदस्थ परियोजना अधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, लेखाधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी, परियोजना अर्थशास्त्री, तकनीकी सहायक एवं डाटा एन्ट्री आपरेटर को जिला पंचायत में रिक्त समकक्ष वेतन वाले पदों के विरूद्ध प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करते हुए संविदा मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान किया जाए।

3. डीआरडीए में सहायक परियोजना अधिकारी, परियोजना अर्थशास्त्री एवं तकनीकी सहायक के पदों पर कार्यरत विकास विस्तार अधिकारी/सहायक विकास विस्तार अधिकारी को संबंधित जिले की जनपद पंचायतों में रिक्त पद पर पदस्थ किया जाए। जिले की जनपद पंचायतों में विकास विस्तार अधिकारी/सहायक विकास विस्तार अधिकारी के पद रिक्त न होने की स्थिति में प्रस्ताव विभाग को प्रेषित किया जाए।

4. डीआरडीए में परियोजना अधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, लेखाधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी, परियोजना अर्थशास्त्री एवं तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत तिलहन संघ के अधिकारियों/कर्मचारियों को जिला पंचायत तथा जिला पंचायत में पद रिक्त न होने पर जिले की जनपद पंचायतों में रिक्त समकक्ष पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाए ।

5. डीआरडीए प्रशासन योजनांतर्गत प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके मूल पद पर पदस्थापना हेतु कार्यमुक्त किया जाए।

6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उक्तानुसार आदेश जारी करें।

7. डीआरडीए योजनांतर्गत 31 अक्टूबर 2016 के पश्चात् कोई व्यय नहीं किया जाये। दिनांक 31 अक्टूबर 2016 तक डीआरडीए/डीएसएमए अमले के वेतन/भत्ते तथा सेवानिवृत्ति उपरांत देय स्वत्वों के भुगतान के लिए धनराशि की मांग संलग्न निर्धारित प्रपत्र में गूगल शीट पर प्राप्त होते ही पंचायतराज संचालनालय भोपाल द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।

27.10.16

(आर.एस जुलानिया)
विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक/13212/22/वि-2/स्था./16 भोपाल, दिनांक 27/10/2016

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, पंचायतीराज म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संभागायुक्त, समस्त संभाग म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर, समस्त जिलें म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

27.10.16

विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

कार्यालय जिला पंचायत–राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

क्रमांक / 9867 / स्थापना / 16 राजगढ़, दिनांक 03 / 11 / 2016

–::आदेश::–

विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल के आदेश कमांक / 13211–12 / 22 / वि–2 / स्था. / 16 भोपाल दिनांक 27.10.2016 के पालन में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण राजगढ़ में मूल अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा प्रतिनियुक्ति से सेवाऐं वापसी एवं संविदा पर पदस्थ अधिकारियों की जिला पंचायत राजगढ़ एवं जिले के मुख्यालय की निकटस्थ जनपद पंचायतों / विकासखण्डों में रिक्त समकक्ष पदों के ग्रेड–पे (वेतन) अनुसार निम्नवत प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना की जाती है:–

कमांक	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	वर्तमान पद	प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने वाला समकक्ष पद	प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना का स्थान
1	श्री अरूण कुमार भद्रावले	सहायक परियोजना अधिकारी (पदोन्ति)	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	विकासखण्ड खिलचीपुर
2	श्री एन.एल. गढ़वाल	सहायक परियोजना अधिकारी (प्रतिनियुक्ति)	सहायक विकास विस्तार अधिकारी (सेवाऐं वापस करते हुए मूल पद पर)	विकासखण्ड जीरापुर
3	सुश्री अभिलाषा कोकाटे	सहायक परियोजना अधिकारी (संविदा पारिश्रमिक)	सहायक विकास विस्तार अधिकारी (सविदा पारिश्रमिक)	विकासखण्ड खिलचीपुर
4	श्री बी.पी. वर्मा	अधीक्षक	सहायक लेखाधिकारी	जनपद पंचायत राजगढ़
5	श्री जी.पी. टेलर	स्टेनोंग्राफर	स्टेनोग्राफर	जिला पंचायत राजगढ़
6	श्री ए.एल. शिवहारे	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	सहायक लेखाधिकारी	जनपद पंचायत ब्यावरा
7	श्री एस.पी. द्विवेदी	सहायक लेखाधिकारी	सहायक ग्रेड–3	जनपद पंचायत नरसिंहगढ़
8	श्री के.पी. गुप्ता	मुख्य लिपिक / सहायक ग्रेड–1	सहायक ग्रेड–2	जनपद पंचायत सारंगपुर
9	श्री राधेश्याम मालवीय	सहायक ग्रेड–2	सहायक ग्रेड–3	जनपद पंचायत राजगढ़

10	श्री राजेश वर्मा	सहायक ग्रेड–2	सहायक ग्रेड–3	जनपद पंचायत ब्यावरा
11	श्री किरण सक्सेना	सहायक ग्रेड–3	सहायक ग्रेड–3	जनपद पंचायत ब्यावरा
12	श्री गोपाल दास वेष्णव	वाहन चालक	सहायक ग्रेड–3	जनपद पंचायत नरसिंहगढ़
13	श्री कैलाश जाट	वाहन चालक	सहायक ग्रेड–3	जनपद पंचायत सारंगपुर
14	श्री अशोक कुमार मेवाडे	वाहन चालक	सहायक ग्रेड–3	जनपद पंचायत सारंगपुर
15	श्री विजय मेवाडे	चौकीदार	भृत्य	जनपद पंचायत खिलचीपुर
16	श्री रमेश चन्द्र शर्मा	भृत्य	भृत्य	जिला पंचायत राजगढ़
17	श्री देवीसिंह भिलाला	भृत्य	भृत्य	जिला पंचायत राजगढ़
18	श्री पूरसिह गुर्जर	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा)	डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा)	जिला पंचायत राजगढ़
19	श्री रूपसिंह	बागवान	फर्राश	जिला पंचायत राजगढ़

यह आदेश दिनांक 01.11.2016 से प्रभावशील होगा।

प्रतिनियुक्ति की शर्ते निम्नानुसार रहेगीः–

1 म.प्र. वित्त विभाग के आदेशानुसार प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किये जा रहे अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्ते मूल विभाग में जो वेतन भत्ते प्राप्त कर रहे थे, उसी अनुसार देय होगें।

2 उपरोक्त अधिकारियों / कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति पर की गई पदस्थापना किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर अन्य समकक्ष पद एवं स्थान पर प्रतिनियुक्ति परिवर्तित की जा सकेगी।

3 म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल द्वारा समय–समय पर जारी आदेश मान्य होगें।

4 प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किये जा रहे अधिकारियों / कर्मचारियों को वेतन उनके मूल विभाग द्वारा जारी अंतिम वेतन प्रमाण–पत्र के आधार पर ही आहरित किया जावेगा एवं कटोत्रा भी सी.पी.एफ. अनुसार ही किया जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत–राजगढ़ म.प्र.